राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित) बांदरसिंदरी, एन.एच.—8, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)



Central University of Rajasthan

(Established under the Central Universities Act, 2009) Bandarsindri, N.H.-8, Kishangarh, Distt.- Ajmer (Raj.)

प्रपत्र—01 / Form No. I अचल सम्पत्तियों का विवरण / Statement of Immovable Property 31 दिसम्बर, को / As on the 31st December, 20....... (उदा. भूमि, मकान, दुकान, अन्य बिल्डिंग, आदि) / (e.g. Lands, House, Shops, Other buildings, etc.)

क्र. सं. S1. No.	सम्पत्तियों का विवरण Description of property	Precise location (Name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.	भूमि का क्षेत्र (भूमि व भवन की स्थिति में) Area of land (in case of land and buildings)	भूमि की प्रकृति भूमि—सम्पत्ति की स्थिति में Nature of land in case of landed property	सम्पत्ति में हिस्सा Extent of interest	यदि स्वयं के नाम पर नहीं है तो जिसके नाम से है, उसका नाम व पता एवं सरकारी कर्मचारी से रिश्ता If not in own name, state in whose name held and his/her relationship, if any to the Government servant
1	2	3	4	5	6	7

					·
अभिग्रहण	कैसे प्राप्त की (क्या उक्त सम्पत्ति खरीद से, बंधक में, पट्टे में,	सम्पत्ति का मूल्य	विहित प्राधिकारी	संपत्ति से	टिप्पणियाँ
की तिथि	विरासत में, उपहारस्वरूप या अन्य प्रकार से प्राप्त हुई है?) एवं व्यक्ति	(नीचे नोट 2 देखें)	की स्वीकृति का	प्राप्त कुल	Remarks
Date of	का नाम व विवरण जिससे प्राप्त की है (संबंधित व्यक्ति का पता व	Value of the	विवरण	वार्षिक आय	
acquisition	सरकारी कर्मचारी से संबंध, यदि हो) कृपया नोट 1 देखें।	property (see	Particulars of	Total Annual	
	How acquired (whether by purchase, mortgage, lease,	Note 2 below)	sanction of	income from	
	inheritance, gift or otherwise) and name with details of		prescribed	the property	
	person/persons from whom acquired (address and connection of		authority, if		
	the Government servant, if any, with the person/persons		any		
	concerned) Please see Note 1 below				
8	9	10	11	12	13

दिनांक Date:		हस्ताक्षर Signature:
स्थान Place:	नाम Name:	, पद Designation:
	ि	वेभाग / अनुभाग Department/Section:

टिप्पणी Note:

- 1. कॉलम 9 में ''पट्टा'' का मतलब वर्ष दर वर्ष अचल संपत्ति का पट्टा या एक वर्ष से अधिक किसी भी अविध के लिए या एक वार्षिकी किराया आरक्षण। जहां, तथापि, सरकारी कर्मचारी से किसी व्यक्ति के अधिकारिक सौदे के फलस्वरूप अचल सम्पत्ति पर पट्टा प्राप्त किया गया हो, पट्टे की अविध पर ध्यान दिये बिना उक्त पट्टे को उक्त कॉलम में दिखाया जाना चाहिए, चाहे वह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक एवं किराये के भुगतान की अविध।
- 1. For purpose of Column 9, the term "lease' would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.
- 2. कॉलम संख्या 10 में निम्नलिखित उल्लेखित करें— In Column 10, should be shown -
- (अ) यदि सम्पत्ति खरीद से, बंधक या पट्टे में प्राप्त की हो तो उसके अधिग्रहण हेतु किये गये भुगतान या किश्त की राशि। (a) Where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price or premium paid for such acquisition. (ब) यदि सम्पत्ति लीज़ में प्राप्त की हो तो उसका कुल वार्षिकी किराया, एवं (b) Where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also; and (स) यदि उक्त सम्पत्ति विरासत में, उपहारस्वरूप या अन्य प्रकार से प्राप्त हुई है तो उक्त सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य (c) Where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.